

झारखण्ड विधान सभा



आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
2. परिभाषा
3. विश्वविद्यालय की स्थापना
4. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति एवं इसके अनुप्रयोग
5. विश्वविद्यालय के निर्बंधन और बाध्यताएँ
6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य
7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ, अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा
8. विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ
9. सम्बद्धता के अवरोधक
10. आगंतुक (विजिटर)

अध्याय-2

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी
12. कुलाधिपति
13. कुलपति
14. कुलपति की पदच्युति
15. प्रति-कुलपति
16. निदेशक/प्रधानाचार्य
17. कुलसचिव
18. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी
19. परीक्षा नियंत्रक
20. अन्य अधिकारी

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के प्राधिकार

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकार
22. शासी निकाय
23. प्रबंधन बोर्ड
24. अकादमिक परिषद्
25. वित्त समिति
26. योजना बोर्ड
27. अन्य प्राधिकार
28. किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यता
29. रिक्रियाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगी
30. समितियों का गठन

अध्याय-4

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

31. प्रथम परिनियम
32. परवर्ती परिनियम
33. प्रथम अध्यादेश
34. परवर्ती अध्यादेश
35. विनियम
36. निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकार

अध्याय-5

विश्वविद्यालय की निधियाँ और लेखा

37. स्थायी निधि
38. सामान्य निधि
39. वार्षिक प्रतिवेदन
40. अंकेक्षण एवं वार्षिक लेखा

अध्याय-6

विश्वविद्यालय का परिसमापन एवं विघटन

41. विश्वविद्यालय का परिसमापन
42. विश्वविद्यालय का विघटन
43. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ

अध्याय-7

विविध

44. नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति
45. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापन
46. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

अनुसूची 'ए'

आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
(सभा द्वारा यथापारित)
प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य में आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेश के लिए और उससे सम्बद्ध एक निजी विश्वविद्यालय के आनुषंगिक मामलों की स्थिति प्रदान करने हेतु एक विधेयक;

जबकि यह समयोचित है कि झारखण्ड से सृजित एवं पंजीकृत आरोग्यम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, कनहर भवन के सामने, नवादा मोड़, झरुआ, गढवा-822114, (पंजीयन संख्या-U85140JH2009PTC013753 दिनांक-09.09.2009) स्थापित एवं निर्बंधित-कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) द्वारा प्रायोजित आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना तथा समावेशन और उसके अनुरूप निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु और उससे संबद्ध आनुषंगिक मामलों के संदर्भ में आवश्यक है।

एतद्वारा भारतीय गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- (1) यह अधिनियम " आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023" कहा जाएगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियत किया जाय।

2. परिभाषा:-

जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

- (क) अकादमिक परिषद् का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् जैसा कि इस अधिनियम की धारा-24 में वर्णित है;
- (ख) "वार्षिक प्रतिवेदन" का आशय है विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जैसा इस अधिनियम की धारा-39 में संदर्भित है;
- (ग) "प्रबंधन बोर्ड" का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा-23 के तहत गठित विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड;
- (घ) "परिसर" का आशय है विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल जहाँ यह अवस्थित है;
- (ङ) "कुलाधिपति" से आशय है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो इस अधिनियम की धारा-12 के अधीन नियुक्त हों;
- (च) "मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी" का अर्थ है विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा-18 के अधीन नियुक्त हों;
- (छ) "परीक्षा नियंत्रक" का अर्थ है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-19 के अधीन हुई हो;
- (ज) "अंगीभूत महाविद्यालय" से आशय है वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान जो विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित हों;
- (झ) "कर्मचारी" से आशय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी; इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी समाहित हैं;
- (ञ) "स्थायी निधि" का अर्थ है विश्वविद्यालय की स्थायी निधि जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-37 के तहत हुई हो;
- (ट) "संकाय" से आशय है समान अनुशासनों के अकादमिक विभाग;
- (ठ) "शुल्क" का आशय है विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से उगाही गयी राशि, जो किसी पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित हो;
- (ड) "सामान्य निधि" से आशय है विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत हुई हो;
- (ढ) "शासी निकाय" का अर्थ है विश्वविद्यालय का शासी निकाय, जिसका गठन अधिनियम की धारा-22 के तहत हुआ हो;

- (ग) "राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्" से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बंगलुरु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था;
- (त) "विहित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत विहित परिनियम और नियमावली;
- (थ) "प्रति-कुलपति" का अर्थ है विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 के तहत हुई हो;
- (द) "कुलसचिव" का अर्थ है विश्वविद्यालय के कुलसचिव, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-17 के तहत हुई हो;
- (ध) "नियंत्री निकाय" का अर्थ है भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अकादमिक स्तर के सुनिश्चयन हेतु मानकों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय, यथा-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद् आदि तथा इसके अलावा सरकार अथवा कोई वैसा निकाय, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो;
- (न) "नियमावली" से तात्पर्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली;
- (प) "अनुसूची" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत संलग्न अनुसूची;
- (फ) विश्वविद्यालय से संबंधित "प्रवर्तक निकाय" का अर्थ है:-
- (i) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कोई संस्था, अथवा
 - (ii) इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई लोक न्यास, अथवा
 - (iii) किसी राज्य की विधि के अनुरूप पंजीकृत कोई संस्था या न्यास।
- (ब) "राज्य सरकार से आशय है झारखण्ड की राज्य सरकार;
- (भ) "परिनियम" "अध्यादेश" और "विनियम" से क्रमशः तात्पर्य है, परिनियम, अध्यादेश और विनियम जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित हों;

- (म) "विश्वविद्यालय के विद्यार्थी" का अर्थ है विश्वविद्यालय में उपाधि, डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अन्य अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु एक पाठ्यक्रम में नामांकित व्यक्ति, जिसमें शोध-उपाधि भी शामिल है;
- (य) "शिक्षक" से आशय है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा इस तरह के अन्य व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था में निर्देशित करने (शिक्षण) अथवा शोधकार्य संचालन हेतु हुई हो, इसके तहत अंगीभूत महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य भी सम्मिलित हैं, जिनकी संपुष्टि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत हुई हो;
- (क क) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से आशय है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
- (क ख) "विश्वविद्यालय" का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत झारखण्ड में स्थापित आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय;
- (क ग) "कुलपति" से तात्पर्य है विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की धारा-13 के तहत हुई हो;
- (क घ) "विजिटर" से तात्पर्य है विश्वविद्यालय के विजिटर यथा इस अधिनियम की धारा-10 में वर्णित है।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना:-

- (1) विश्वविद्यालय की स्थापना 'आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय' के नाम से होगी।
- (2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत होगा तथा यह गढ़वा में अवस्थित होगा।
- (3) प्रवर्तक निकाय को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के बाद ही विश्वविद्यालय का संचालन आरंभ किया जायेगा।
- (4) इस अधिनियम की अनुसूची 'ए' में सम्मिलित शर्तों को विश्वविद्यालय निर्धारित समयावधि में पूरा करेगा।
- (5) विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद्, कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, शिक्षक, मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी या सदस्य या प्राधिकारी एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से गठित निकाय बनाएंगे जब तक वे इस पद पर हैं अथवा उनकी सदस्यता बनी रहेगी।

- (6) विश्वविद्यालय एक असम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और वे किसी भी महाविद्यालय या संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों को उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु सबद्धता नहीं दे सकेंगे।
- (7) इस अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व प्रवर्तक निकाय के अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थान, जो सम्बद्धता प्राप्त है और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं वे इस अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही उस विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हो जाएंगे, उनकी ऐसी सुविधाएँ इस अधिनियम के लागू होने के साथ समाप्त हो जाएंगी और आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय के प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के साथ ऐसे महाविद्यालय और संस्थान उस आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान बन जाएंगे।
- (8) आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उसके पास सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा प्रमाणन की शक्ति होगी, सम्पत्ति ग्रहण करने व उस पर आधिपत्य रखने, उसे अनुबंध/संविदा पर देने अथवा कथित नाम से वाद चलाने के अधिकार होंगे या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा।
- (9) विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

परन्तु कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अनुदान या अन्य तरीके से वित्तीय सहायता दे सकती है:-

- (क) शोध विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जैसे राज्य सरकार के अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है, अथवा
- (ख) विशिष्ट शोध अथवा कार्यक्रम आधारित कोई गतिविधि;

4. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति एवं इसके अनुप्रयोग:-

- (1) विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर भूमि और अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियाँ, जो झारखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय के उद्देश्य (पूर्ति) के लिए अधिग्रहित, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित की जाती हैं, वे विश्वविद्यालय में निहित होंगी।

- (2) विश्वविद्यालय द्वारा भूमि, भवन और अन्य अधिग्रहित सम्पतियाँ किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी सिवा जिस उद्देश्य के लिए वे अधिग्रहित की गयी हैं।
- (3) विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पतियों का प्रबंधन शासी निकाय द्वारा विनियमों में प्रदत्त रीति के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) उप धारा-(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नाम से हस्तांतरित सम्पति को विश्वविद्यालय के विघटन अथवा समापन के फलस्वरूप निर्धारित ढंग से नियमावली में वर्णित तरीके से प्रयुक्त किया जाएगा।

5. विश्वविद्यालय के निर्बंधन और बाध्यताएँ:-

- (1) विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यथा-अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा-शास्त्र, प्रबंधन आदि के लिए शिक्षण-शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय-समय पर नियामक निकाय, जैसा वह उचित समझेगी, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।
- (2) विश्वविद्यालय में नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय में नामांकन की योग्यता का निर्धारण प्रामांक या अर्हता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और पाठ्येतर और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों अथवा राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के संगठन या राज्य सरकार के किसी अधिकरण द्वारा समान पाठ्यक्रमों के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर किया जाएगा।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में नामांकन नियंत्री निकाय के प्रावधानों द्वारा शासित/नियमित होंगे।

- (3) निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय को शिक्षण शुल्क में पूरी क्षमता के कम से कम पाँच प्रतिशत को मेधा छात्रवृत्ति की अनुमति देनी होगी। निर्धनता तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कसौटी का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा।
- (4) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1198, दिनांक-05.08.2019 का प्रावधान लागू होगा।
- (5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर पदों के कम से कम पचास प्रतिशत शिक्षकेतर पदों को झारखण्ड राज्य के अधिवासी लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान रखना होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा।

- (6) विश्वविद्यालय को अकादमिक स्तर को बनाये रखने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन शिक्षकों या अधिकारियों की योग्यता प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानक से निम्न न हो।
- (7) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विद्यार्थियों एवं अन्यपणधारियों के हित में सार्वजनिक करनी होगी, जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम, अलग-अलग कोटि (श्रेणी) के तहत सीटें, शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत्त सहूलियतें एवं सुख सुविधाएँ, उपलब्ध संकाय/प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ।
- (8) परिनियमों में वर्णित रीति के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उपाधि, डिप्लोमा प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा।
- (9) विश्वविद्यालय को स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और भारत सरकार की अन्य नियामक संस्थाएँ, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध हैं, के द्वारा प्रदत्त ग्रेड की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण कराना होगा।
- (10) इतना होते हुए भी इस अधिनियम की अनुसूची 'A' में उल्लिखित शर्तों और भारत सरकार की नियामक संस्थाओं के नियमों, विनियमों, मानदण्डों आदि का इन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहूलियतों तथा सहयोग व कर्तव्यों के निष्पादन एवं कार्य को जारी रखने के लिए उन संस्थाओं को जैसी आवश्यकता होगी, विश्वविद्यालय के लिए इनका अनुपालन बाध्यकारी होगा।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य:-

विश्वविद्यालय का उद्देश्य अनुदेशनात्मक, शोध तथा प्रसार एवं ऐसी अधिगम की शाखाओं के द्वारा जैसा वो उपयुक्त समझे, ज्ञान तथा कौशलों को बढ़ाना तथा विस्तार करना होगा और विश्वविद्यालय यह प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए आवश्यक माहौल तथा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायें:-

- (क) पाठ्यक्रम का मुख्य शिक्षा में पुनर्निर्माण एवं नवाचार, शिक्षण के नवीन तरीके, प्रशिक्षण तथा अधिगम ऑनलाइन अधिगम सहित, सम्मिश्रित अधिगम, सतत् शिक्षा एवं अन्य तरीके तथा एकीकृत एवं व्यक्तित्व का हितकर विकास;

- (ख) विविध अनुशासनों में अध्ययन;
- (ग) अंतर अनुशासनिक अध्ययन;
- (घ) राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक समता तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेल मिलाप एवं नीतिशास्त्र।

7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ, अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा:-

किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य प्राधिकार की सदस्यता से अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, मत, वर्ग, जाति, जन्म के स्थान और धार्मिक विश्वास अथवा राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर पक्षपात या भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा।

8. विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ:-

- (1) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन, इसके अंगीभूत महाविद्यालयों का प्रशासन एवं प्रबंधन तथा शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण के केन्द्रों का विस्तार एवं सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के विस्तार एवं पहुँच को इसके झारखण्ड राज्य में अवस्थित परिसर में संचालन व प्रबंधन;
- (2) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा-शास्त्र, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मसी, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में शोध, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण-प्रशिक्षण, सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के संसाधनों को उपलब्ध कराना;
- (3) शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में नवाचारी प्रयोग, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग एवं वैसी संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रमों का प्रस्ताव देना जिससे शिक्षा के वितरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित एवं प्राप्त करने में निरंतरता रहे;
- (4) शिक्षा प्रदान करने में लचीलेपन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं प्रणाली में इलेक्ट्रानिक एवं दूरस्थ अधिगम विहित करना;
- (5) परीक्षा का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना अथवा विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता या नाम को वापस लेना;
- (6) फेलोशिप (शिक्षावृत्ति), छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार स्थापित एवं प्रदान करना;

- (7) परिनियम में वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान करना;
- (8) उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के लिए स्कूल, केन्द्र, संस्थान, महाविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय के मतानुसार कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन;
- (9) विश्वविद्यालय के मतानुसार शिक्षा प्रदान करने व प्रयोजनों के प्रोत्साहन के लिए किसी महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना या नये अंगीभूत महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान की स्थापना करना;
- (10) शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन एवं पुनरुत्पादन हेतु प्रबंधन एवं प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन;
- (11) ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना;
- (12) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मसी, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रायोजन एवं दायित्व वहन करना;
- (13) समान उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग व संबद्धता;
- (14) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आभासी (वर्चुअल) परिसर समेत परिसरों की स्थापना;
- (15) पेटेन्ट प्रकृति के शोध, योजना अधिकारों एवं ऐसे समान अधिकारों के साथ सक्षम प्राधिकारों से अनुसंधान के संबंध में पंजीकरण का दायित्व लेना;
- (16) विश्वविद्यालय के आंशिक अथवा पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दुनिया के किसी भी हिस्से के शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों के आदान-प्रदान के द्वारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उचित समझे;
- (17) अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श तथा इस प्रकार की अन्य सेवाएँ देना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;
- (18) शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, विधि, वाणिज्य, फार्मसी, स्वास्थ्य सेवा एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच विश्वविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाये रखना;
- (19) महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय विशेष व्यवस्था करने पर विचार;

- (20) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन, वित्त का प्रबंधन एवं लेखा का रख-रखाव;
- (21) विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा निधि, चल एवं अचल सम्पत्ति, उपस्कर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य संसाधनों को व्यवसाय, उद्योग, समाज के अन्य वर्गों, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों अथवा किसी अन्य स्रोत से उपहार, दान, उपकार या वसीयत के रूप में प्राप्त करना;
- (22) विद्यार्थियों के लिए सभागार, छात्रावास एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के निवास के लिए आवास का निर्माण, रख-रखाव एवं व्यवस्था;
- (23) खेल, सांस्कृतिक सह-पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों की उन्नति के लिए केन्द्रों, परिसरों, सभागारों, भवनों, स्टेडियम का निर्माण, प्रबंधन तथा रख-रखाव;
- (24) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए अनुशासन बनाये रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन;
- (25) परिनियम द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना;
- (26) फेलोशिप (शोधवृत्ति), छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पदक एवं अन्य पुरस्कारों की स्थापना;
- (27) विश्वविद्यालय आवश्यकता या प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से किसी भूमि या भवन को खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहारव वसीयत, विरासत या अन्य तरीके से कार्य हेतु प्राप्त कर सकेगा और यह उन नियमों व शर्तों के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, जिससे किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने और रख-रखाव हेतु उचित हो;
- (28) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों एवं उद्देश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो, उसके अनुरूप विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचने, विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से प्रबंधित करना;
- (29) निर्माण और समर्थन, कटौती और वार्ता, वचनपत्र नोट, विनियम बिल, चेक और अन्य विनिमेय उपस्कर आकर्षित और स्वीकार करना;
- (30) विश्वविद्यालय के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की निधि को बढ़ाना और बांड पर उधार लेना, बंधक, वचनपत्र नोट या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों की स्थापना या सम्पूर्ण अथवा विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति और परिसम्पत्ति अथवा बिना किसी प्रतिभूति और मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप करना;

9. सम्बद्धता के अवरोधक:-

- (1) विश्वविद्यालय को किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता देने का विशेषाधिकार नहीं होगा।
- (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अन्य नियामक निकायों अथवा केन्द्र या राज्य सरकार, जैसा भी हो, के द्वारा पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही विश्वविद्यालय अपने परिसर के अलावा कोई दूरवर्ती परिसर, अपटट परिसर, अध्ययन केन्द्र, परीक्षा केन्द्र झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर शुरू कर सकेगा।
- (3) दूरस्थ प्रणाली से पाठ्यक्रमों की शुरुआत केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसी नियामक संस्था की पूर्व स्वीकृति के बाद की जाएगी।

10. आगंतुक (विजिटर):-

- (1) झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर (आगंतुक) होंगे।
- (2) आगंतुक (विजिटर) जब दीक्षांत समारोह में डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा, चार्टर, ओहदा (पदनाम) और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए मौजूद रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता करेंगे।
- (3) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान के शिक्षा के स्तर, अनुशासन, शिष्टाचार और समुचित क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगंतुक को विश्वविद्यालय के भ्रमण/दौरे का अधिकार होगा।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी :-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

- (क) कुलाधिपति
- (ख) कुलपति
- (ग) प्रति-कुलपति
- (घ) निदेशक/प्रधानाचार्य
- (ङ) कुलसचिव
- (च) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी

- (छ) परीक्षा नियंत्रक
- (ज) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष
- (झ) संकायाध्यक्ष
- (ञ) कुलानुशासक और
- (ट) विश्वविद्यालय में अन्य ऐसे अधिकारी जो परिनियम द्वारा घोषित किये जाएंगे।

12. कुलाधिपति:-

- (1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रवर्तक निकाय द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए आगंतुक (विजिटर) के अनुमोदन के पश्चात् निर्धारित प्रक्रियाओं तथा एतद्संबंधी नियमों एवं शर्तों के अनुरूप की जाएगी। कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् कुलाधिपति आगंतुक की सलाह के बाद प्रवर्तक निकाय द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे।
- (2) कुलाधिपति अपने कार्यालय पद के अधिकार से विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।
- (3) कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब आगंतुक (विजिटर) मौजूद नहीं रहेंगे तब उपाधि (डिप्टी), डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (4) कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित व प्रवर्तक निकाय को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
- (5) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथा:-
 - (क) किसी भी जानकारी या अभिलेख की माँग करने;
 - (ख) कुलपति की नियुक्ति;
 - (ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुलपति को हटाने और
 - (घ) इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा उनको प्रदत्त अन्य शक्तियाँ।

13. कुलपति:-

- (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप करेंगे और ये पाँच साल की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। परन्तु

परन्तु कि यह कि कुलपति पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

परन्तु यह भी कि शर्त यह रहेगी कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से, कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

- (2) कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल करेंगे।
- (3) आगंतुक (विजिटर) और कुलाधिपति की गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (4) कुलपति यदि यह अनुभव करें कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्राधिकार को संबद्ध मामले में कृत कार्रवाई की जानकारी दे सकते हैं।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या विश्वविद्यालय की सेवा का अन्य व्यक्ति यदि कुलपति द्वारा कृत कार्रवाई से व्यथित है तो इस उप धारा के तहत इस निर्णय के संप्रेषित होने की तिथि के एक माह के भीतर कुलाधिपति के समक्ष अपील कर सकता है। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, संशोधित या परिवर्तित कर सकते हैं।

- (5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इस तरह के अन्य कार्य करेंगे जो विहित किया जाय।

14. कुलपति की पदच्युति:-

- (1) कुलाधिपति को यदि किसी समय किसी जाँच के पश्चात् आवश्यक लगे या प्रतीत हो कि कुलपति:
 - (क) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के तहत प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हों; अथवा
 - (ख) विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य किये हों, या

(ग) विश्वविद्यालय के मामलों को सुलझाने में अक्षम हों, तो कुलाधिपति इस बात के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, कारण बताते हुए यथा निर्धारित तिथि से पद से इस्तीफा देने के लिए लिखित आदेश दे सकते हैं।

(2) उप धारा (1) के तहत विशेष आधार पर कार्रवाई के किसी प्रस्ताव की सूचना दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का एक समुचित अवसर कुलपति को दिया जाएगा।

15. प्रति-कुलपति:-

(1) प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस तरीके से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो विहित किया जाय।

(2) प्रति कुलपति उप धारा-1 के तहत नियुक्त एक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

(3) प्रतिकुलपति कुलपति को उनकी आवश्यकतानुसार उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेंगे।

(4) प्रतिकुलपति प्रवर्तक निकाय द्वारा निर्धारित राशि मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे।

16. निदेशक/प्रधानाचार्य :-

निदेशकों/प्रधानाचार्यों की नियुक्ति निर्दिष्ट ढंग से तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर की जा सकेगी।

17. कुलसचिव :-

(1) कुलसचिव प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किये जाएंगे। कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता को धारण करेंगे।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने, प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा समझौता करने की शक्ति होगी तथा वे ऐसी दूसरी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करेंगे जो उनके लिए निर्दिष्ट किया गया हो।

(3) कुलसचिव कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

18. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी :-

- (1) प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट हो।
- (2) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे जैसा कि परिनियम में निर्दिष्ट है।

19. परीक्षा नियंत्रक:-

- (1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा परिनियम के अनुरूप कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (2) परीक्षा नियंत्रक के दायित्व होंगे:-
 - (क) परीक्षा को अनुशासित एवं कुशल तरीके से संचालित करना;
 - (ख) सख्त गोपनीयता की दृष्टि से प्रश्न-पत्रों के चयन की व्यवस्था करना;
 - (ग) निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था करना;
 - (घ) परीक्षा-प्रणाली की निष्पक्षता और विषयनिष्ठता को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों की योग्यता के सही आकलन की दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत समीक्षा करना;
 - (ङ) कुलपति के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना जो परीक्षा से संबंधित हों।

20. अन्य अधिकारी:-

छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के दायित्व, शक्तियों और नियुक्ति का तरीका वैसा होगा, जैसा निर्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के प्राधिकार

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकार:-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे-

- (क) शासी निकाय
- (ख) प्रबंधन बोर्ड
- (ग) अकादमिक परिषद्
- (घ) वित्त समिति
- (ङ) योजना बोर्ड
- (च) वैसे अन्य सभी प्राधिकार, जो परिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये गये हों।

22. शासी निकाय:-

- (1) शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा-
 - (क) कुलाधिपति;
 - (ख) कुलपति;
 - (ग) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनका प्रतिनिधि;
 - (घ) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे;
 - (ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से एक व्यक्ति, जो प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के रूप में होंगे।
 - (च) कुलाधिपति द्वारा नामित एक वित्त विशेषज्ञ।
- (2) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार एवं मुख्य शासी निकाय होगा। इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथा:-
 - (क) नियम, परिनियम, अधिनियम, विनियम अथवा अध्यादेश का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करना;
 - (ख) विश्वविद्यालय के अन्य निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे अधिनियमों, परिनियमों, अध्यादेश, विनियम या नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हों;

- (ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को अनुमोदित करना;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन हेतु विस्तृत नीतियों का निर्माण;
- (ङ) विश्वविद्यालय के विघटन के लिए प्रवर्तक निकाय को अनुशंसा करना, यदि संपूर्ण प्रयास के बाद भी विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य संपन्न करने की स्थिति में नहीं हो;
- (च) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।
- (3) शासी निकाय की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम तीन बार होगी।
- (4) बैठक का कोरम चार होगा;

परन्तु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के सचिव या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों, जिसमें सरकारी नीतियों या निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों।

23. प्रबंधन बोर्ड:-

- (1) प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों के योग से गठित होगा, यथा-
- (क) कुलपति;
- (ख) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनके नामिति;
- (ग) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित शासी निकाय के दो सदस्य;
- (घ) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं;
- (ङ) शिक्षकों के बीच से प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य;
- (च) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक।
- (2) प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होंगे।
- (3) प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियम में जैसा निर्दिष्ट है, के अनुरूप होगा।
- (4) प्रबंधन बोर्ड की बैठक का कोरम पाँच होगा;

परन्तु यह कि सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों; जिसमें सरकार की नीतियों/निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों।

24. अकादमिक परिषद्:-

- (1) अकादमिक परिषद् कुलपति तथा वैसे सदस्यों के योग से बनेगा, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट है।
- (2) अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष कुलपति होंगे।
- (3) आकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य अकादमिक निकाय होगी, जैसा कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों में प्रावधान है और यह विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का संयोजन तथा पर्यवेक्षण करेगी।
- (4) अकादमिक परिषद् की बैठक का कोरम परिनियम के निर्देशों के अनुरूप होगा।

25. वित्त समिति:-

- (1) वित्त समिति विश्वविद्यालय की मुख्य वित्तीय निकाय होगी, जो वित्त संबंधी मामलों की देख-रेख करेगी।
- (2) वित्त समिति का संविधान, शक्तियाँ और कार्य के अनुरूप होंगे जैसा की विहित किया जाय।

26. योजना बोर्ड:-

- (1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बुनियादी ढाँचा और अकादमिक समर्थन प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।
- (2) योजना बोर्ड का संविधान, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उनकी शक्तियाँ एवं कार्यों का निर्धारण वैसा होगा जैसा की विहित किया जाय।

27. अन्य प्राधिकार:-

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ तथा कार्य वैसा होगा जैसा की विहित किया जाय।

28. किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यता:-
कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के योग्य नहीं होगा, यदि वह:
- (क) यदि वह अस्वस्थ मानस का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;
 - (ख) यदि अमुक्त दिवालिया है;
 - (ग) यदि नैतिक स्खलन का अपराधी पाया गया है;
 - (घ) किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए कहीं भी, किसी रूप में दंडित किया गया है।

29. रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगी:-

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की कृत्य या कार्यवाही सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं की जायेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या संगठन की रिक्ति अथवा संविधान में कोई दोष है।

30. समितियों का गठन:-

विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी शर्तों के साथ जो विशेष काम के लिए आवश्यक हों तथा जो परिनियमों द्वारा अनुमोदित हों, ऐसी समितियों का गठन कर सकेंगे।

अध्याय-4

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

31. प्रथम परिनियम:-

- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुकूल पहला परिनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक का निर्धारण करेगा, यथा-
- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के लिए समय-समय पर गठन, शक्तियों और कार्यों का निर्धारण;
 - (ख) कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति की शर्तों और उनकी शक्तियों तथा अधिकारों का निर्धारण;
 - (ग) कुलसचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तों तथा उनकी शक्तियों और कार्य का निर्धारण;

- (घ) अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति और शर्तों तथा शक्तियों और कार्य का निर्धारण;
 - (ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का निर्धारण;
 - (च) कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारण;
 - (छ) मानद उपाधियाँ प्रदान करना;
 - (ज) विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की अदायगी में छूट और छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्धारण;
 - (झ) सीटों के आरक्षण के नियम सहित प्रवेश की नीति का निर्धारण; तथा
 - (ञ) विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क।
- (2) विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा।
- (3) विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किए गए पहले परिनियम पर राज्य सरकार विचार करेगी और यथासंभव इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति, संशोधनों अथवा बिना संशोधन के जैसा वह आवश्यक समझे, देगी।
- (4) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पहले परिनियमों पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति संप्रेषित करेगा, अथवा राज्य सरकार द्वारा उप धारा-(3) के अंतर्गत किये गये किसी संशोधन या सभी संशोधनों को नहीं लागू करने पर कारण बतायेगा। राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सुझावों को मान्य या अमान्य कर सकती है।
- (5) राज्य सरकार ने पहले परिनियम को जिस रूप में अंततः स्वीकार किया है उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा।

32. परवर्ती परिनियम:-

- (1) इस अधिनियम और इसके बाद बनाये गये नियमों, विश्वविद्यालय के परवर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी एक के बारे में व्यवस्था दे सकता है, यथा-
- (क) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारों का सृजन;
 - (ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;
 - (ग) विश्वविद्यालयों के प्राधिकारों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व;

- (घ) नए विभागों का निर्माण और वर्तमान विभागों का उन्मूलन अथवा पुनर्गठन;
- (ङ) पदकों और पुरस्कारों का निर्धारण;
- (च) पदों के निर्माण और विलोपन की प्रक्रिया;
- (छ) शुल्कों का पुनरीक्षण;
- (ज) विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा
- (झ) अन्य सभी मामलों का परिनियम द्वारा निर्धारण, जो इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक हों।
- (2) पहले परिनियम से इतर विश्वविद्यालय के परिनियमों का निर्माण शासी निकाय की सहमति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- (3) उप धारा (2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे वह स्वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो कुछ संशोधन के लिए परामर्श, परिनियम की प्रसि की तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी।
- (4) राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगा और परिनियमों में किये गये परिवर्तन के प्रति सहमति अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर टिप्पणी के साथ उसे वापस कर देगा।
- (5) राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा परिनियमों को बिना संशोधन अथवा संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी और इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करायेगी जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

33. प्रथम अध्यादेश:-

- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के तहत, प्रथम अध्यादेश सभी मामले या निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी की व्यवस्था कर सकता है, यथा-
- (क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और इस रूप में नामांकन;
- (ख) विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण;
- (ग) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य प्रदान करने हेतु न्यूनतम योग्यता;
- (घ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, वजीफा, पदक और पुरस्कार हेतु शर्तें;

- (ड) कार्यालय के नियमों और परीक्षण निकाय, परीक्षकों तथा मध्यस्थों की नियुक्ति के तरीके सहित परीक्षाओं का संचालन;
- (घ) विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क;
- (छ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें;
- (ज) विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी प्रावधान;
- (झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन की उन्नति के लिए आवश्यकता अनुभव किये जाने पर किसी निकाय के सृजन, संयोजन और कार्य पर विचार;
- (ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहकारिता और सहयोग के तरीके;
- (ट) ऐसे अन्य मामले जिनकी व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक है;

- (2) विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद कुलाधिपति द्वारा बनाया जाएगा, जिसे अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) उप धारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपति द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर विचार करेगी और जहाँ तक संभव होगा इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर वह इसे स्वीकृत करेगी या इसमें संशोधन हेतु सुझाव भी देगी।
- (4) कुलाधिपति अध्यादेश के संदर्भ में दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल करेंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण बताते हुए प्रथम अध्यादेश को वापस भेजेंगे, यदि कुछ हो। राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के बाद कुलाधिपति की टिप्पणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

34. परवर्ती अध्यादेश:-

- (1) प्रथम अध्यादेशों के अलावा अन्य सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद द्वारा बनाये जाएँगे जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएँगे।
- (2) उपधारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर जहाँ तक संभव हो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर विचार करेगी और इसे स्वीकृत कर सकती है या इसमें संशोधन हेतु सुझाव दे सकेगी।

- (3) अकादमिक परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों के अनुरूप अध्यादेशों को संशोधित करेगी या सुझावों को राज्य सरकार को पुनः उसे वापस सौंपेगी, यदि कोई हो। राज्य सरकार अकादमिक परिषद् की टिप्पणी पर विचार करेगी और अध्यादेशों को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगा।

35. विनियम:-

ऐसे प्रत्येक प्राधिकार और ऐसे प्राधिकार द्वारा बनायी गयी समितियों के लिए शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम के अनुकूल नियम, परिनियमों और अध्यादेशों के संगत विनियम बना सकेंगे।

36. निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकार:-

- (1) शिक्षण के स्तर, परीक्षा और शोध तथा विश्वविद्यालय से संबंध किसी अन्य मामले में राज्य सरकार ऐसे लोगों, जिन्हें वह उपयुक्त समझती है, के द्वारा मूल्यांकन करा सकेगी।
- (2) ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधार के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय को संप्रेषित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय और प्रयत्न करेगा ताकि इन अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- (3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गयी अनुशंसा का पालन करने में उचित समयावधि में विफल रहता है तो राज्य सरकार उसे ऐसा निर्देश दे सकेगी जैसा वह उपयुक्त समझे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय अविलंब करेगा।

अध्याय-5

विश्वविद्यालय की निधियाँ और लेखा

37. स्थायी निधि:-

- (1) उद्देश्य-पत्र में निर्दिष्ट राशि के साथ प्रवर्तक निकाय विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी कोष की स्थापना करेगा।
- (2) विश्वविद्यालय के इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अनुसार संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि के रूप में होगा। यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रवर्तक निकाय इन अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तब राज्य सरकार को यह पूरी राशि अथवा इसका एक हिस्सा/अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा।

- (3) विश्वविद्यालय इस स्थायी कोष से हुई आमदनी का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए कर सकेगा, विश्वविद्यालय के दिनानुदिन व्यय के लिए नहीं।
- (4) विश्वविद्यालय के विघटन तक स्थायी कोष की राशि ऐसे साधनों में निवेशित की जाएगी जैसा सरकार द्वारा निवेश हेतु निर्देशित किया जाएगा।
- (5) दीर्घावधि की प्रतिभूति की स्थिति में, प्रतिभूतियों का प्रमाण-पत्र सरकार के सुरक्षित संरक्षण में रखा जाएगा और व्यक्तिगत जमा खातों के ब्याज को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। शर्त यह है कि सरकार के आदेश के बिना यह राशि निकाली नहीं जा सकेगी।

38. सामान्य निधि:-

- (1) विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य कोष कहा जाएगा, जिसमें निम्नांकित राशियाँ जमा होंगी:
 - (क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क;
 - (ख) प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि;
 - (ग) अपने लक्ष्य-सिद्धि के क्रम में विश्वविद्यालय के किसी भी उपक्रम, यथा-परामर्श आदि से प्राप्त कोई भी राशि;
 - (घ) न्यासों, वसीयतों, दान, वृत्तिदान और किसी भी अन्य प्रकार का अनुदान तथा
 - (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सारी धनराशि।
- (2) सामान्य कोष का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा, यथा -
 - (क) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के साथ विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान हेतु;
 - (ख) विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों के रख-रखाव हेतु;
 - (ग) धारा 37 एवं 38 के अंतर्गत विनिर्मित निधियों के लेखा-परीक्षण के लिए भुगतान किया गया शुल्क;
 - (घ) विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में दायर वादों पर हुए खर्च के निष्पादन हेतु;
 - (ङ) अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शोध-अधिकारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि अंशदान, ग्रैच्यूटी और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु;

- (च) शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और अन्य प्राधिकारों तथा प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये यात्रा-व्यय एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु;
- (छ) फेलोशिप, निःशुल्क शिक्षण, छात्रवृत्तियाँ, असिस्टेंटशिप तथा समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग के छात्रों को दिये गये पुरस्कारों और शोध सहायकों, प्रशिक्षुओं अथवा जैसी स्थिति हो अधिनियमों, परिनियमों और नियमों के अनुकूल किसी भी अर्हता प्राप्त विद्यार्थी के भुगतान हेतु;
- (ज) अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी किसी भी राशि के भुगतान हेतु;
- (झ) प्रवर्तक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस संदर्भ में किये गये निवेशों की मूल लागत, जो समय-समय पर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण प्रदान की दर से अधिक नहीं हो, के भुगतान के लिए।
- (ञ) इस अधिनियम के परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये व्यय के भुगतान हेतु;
- (ट) किसी संस्थान द्वारा विशेष सेवा देने के दायित्व, विश्वविद्यालय को प्रबंधन-सेवा सहित शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत ऐसे व्ययों अथवा संबद्ध अन्य कार्यों के भुगतान हेतु;

परन्तु कि कुल आवर्ती व्यय और उस वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय जैसा शासी निकाय द्वारा निश्चित किया गया है, से अधिक व्यय बिना शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा।

39. वार्षिक प्रतिवेदन:-

विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य मामलों समेत, विश्वविद्यालय द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम शामिल होंगे और इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

40. अंकेक्षण एवं वार्षिक लेखा:-

- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा बॅलेस शीट सहित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा और वार्षिक लेखा का अंकेक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा कराया जाएगा।
- (2) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

अध्याय-6

विश्वविद्यालय का परिसमापन एवं विघटन

41. विश्वविद्यालय का परिसमापन:-

- (1) यदि प्रवर्तक निकाय विधि सम्मतदंग से इसके गठन तथा निगमीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वयं को भंग करना चाहे तो इसकी सूचना कम से कम छह महीने पहले राज्य सरकार को देनी होगी।
- 2) राज्य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) प्राप्त करने के पश्चात्, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप भंग किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय के प्रशासन की व्यवस्था प्रवर्तक निकाय के विघटन के बाद आखिरी सत्र के विद्यार्थियों, जो विश्वविद्यालय में नामांकित हैं, के पाठ्यक्रम पूरा होने तक करेगी और सरकार प्रवर्तक निकाय के स्थान पर विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी, जिसे प्रवर्तक निकाय के अधिकार, कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा इस अधिनियम में वर्णित है।

42. विश्वविद्यालय का विघटन:-

- (1) प्रवर्तक निकाय यदि विश्वविद्यालय को भंग करने की इच्छा रखता है, तो उसे राज्य सरकार को एतद्-संबंधी सूचना निर्धारित तरीके से देनी होगी। राज्य सरकार द्वारा यथोचित विचार के पश्चात् निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय को विघटित किया जा सकेगा।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उन सबको डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा जिस तरह के विषय हों, प्राप्त हो जाएँ।

- (2) जैसा कि तरीका निर्धारित हो विश्वविद्यालय का विघटन होने पर उसकी सभी संपत्तियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित होंगी।

- (3) उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार यदि विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेती है, तो विहित तरीके से समान उद्देश्य वाली सोसाइटियों में विश्वविद्यालय के विघटन तक उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत इसके शासी निकाय की शक्तियाँ निहित कर सकेगी।

43. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ:-

- (1) राज्य सरकार की यदि यह राय है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियमों, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में से किसी का उल्लंघन किया है और वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गयी है, तो वह विश्वविद्यालय को कारण बताओ सूचना जारी कर पैंतालीस दिनों के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी कि क्यों नहीं एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर से यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के किसी भी प्रावधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रतिकूल वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन है तो वह ऐसी जाँच करायेगी, जिसे वह आवश्यक समझे।
- (3) उप-धारा (2) के तहत राज्य सरकार ऐसी किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच-अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जो किसी भी आरोप पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (4) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होंगी जो दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों की सुनवाई के दौरान दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में प्रदत्त हैं, यथा-
- (क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी हाजिरी को अनिवार्य करने और शपथ दिलाकर उनकी जाँच करना;
- (ख) प्रमाण के लिए आवश्यक खोज और ऐसे दस्तावेज या दूसरी अन्य सामग्री प्रस्तुत करने का निर्देश देना;
- (ग) किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना।
- (5) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के प्रावधान के सभी अथवा किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों का उल्लंघन किया है अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय कु-प्रबंधन और

प्रबंधन और कुशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में ऐसी हो गयी है कि उसके अकादमिक स्तर पर प्रश्न-चिह्न खड़ा हो गया हो, तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

- (6) उप-धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के तहत बनाये गये शासी निकाय अथवा प्रबंधन बोर्ड के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालय की गतिविधियों का संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्रियाँ या डिप्लोमा न दे दी जायँ।
- (7) आखिरी सत्र को डिग्रियाँ या डिप्लोमा या जैसी स्थिति हो, के प्रदान के बाद प्रशासक इस आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।
- (8) उप-धारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर देगी और विश्वविद्यालय के विघटन के बाद इसकी सारी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित हो जाएंगी।

अध्याय-7

विविध

44. नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति:-

- (1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार नियम बनाएगी।
- (2) राज्य विधानमंडल के समक्ष इस धारा के अंतर्गत बनाये गये सारे नियमों को कम से कम 30 दिनों के लिए रखा जाएगा और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि वह इसका निरसन कर दे अथवा अपेक्षित परिवर्तन कर दे अथवा ऐसे परिवर्तन जिसे विधानमंडल के उसी सत्र में या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किया गया हो।

45. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापन:-

इस अधिनियम अथवा परिनियम में किसी बात के होते हुए भी अंगीभूत महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालय की अनुसूची में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के लागू होने के तुरत पहले कोई भी अध्ययनरत विद्यार्थी या जो इस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकारी था उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा की जिम्मेदारी संबद्ध विश्वविद्यालय पर तब तक होगी जैसा निर्दिष्ट किया गया हो।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:-

- (1) यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई उपस्थित हो रही हो तो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों को शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।
परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्षों के बाद उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
- (2) इस अधिनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश को अविलंब राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची - 'ए'

- (1) एकल प्रभाव-क्षेत्र के लिए मुख्य परिसर में कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना होगा और बहु प्रभाव क्षेत्र के लिए 25 एकड़, जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना के दो वर्षों के अन्दर करना होगा। एकीकृत कैंपस में प्रेक्षागृह, कैफेटेरिया, छात्रावास इत्यादि ऐसी सुविधायें हो सकती हैं, अतः जमीन की आवश्यकता में तदनुसार बदलाव हो सकता है।
- (2) न्यूनतम एक हजार वर्ग मीटर (1000 वर्ग मीटर) का प्रशासकीय भवन, शैक्षिक भवन, जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएँ हों वह अल्पतम दस हजार वर्ग मीटर (10 हजार वर्ग मीटर) की होंगी, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था, अतिथि गृह, छात्रावास जिसे क्रमशः इतना बढ़ाया जायेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत उसमें रह सके, ऐसा अस्तित्व में आने के तीन वर्षों के भीतर करना होगा। अगर विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कराता है तो उसके लिए वैधानिक निकाय द्वारा किये गये मानकों तथा मानदंडों को स्वीकार करना होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यमान संस्थान विस्तार/पुनरुद्धार/पुनर्रचना करेगा।

यह विधेयक आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 दिनांक 02 अगस्त, 2023 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 02 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष ।